फर्द अहकाम

यालय :- अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, धरियावद, जिला-प्रतापगढ़

नियमित दाण्डिक प्रकरण संख्या 143/2018

दिलीप बनाम जितेन्द्र

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तमील में जारी हुये।
<u>दिनांक : 22.11.2022</u> अधिवक्ता परिवादी उपस्थित। अभियुक्त **जितेन्द्र** का गिरफ्तारी वारंट अदम तामील मय तस्दीक के पेश किया है कि अभियुक्त बाहर गया है, उसका कोई अता पता नहीं है। तामील कुनिन्दा रमेश कानि. नं. 13 पुलिस थाना धरियावद के बयान सी.डब्ल्यु. 1 के रूप में लेखबद्ध किये गये, जिसने कथन किया है कि अभियुक्त अपनी शकूनत पर नहीं है और उसके निकट भविष्य में मिलने की संभावना नहीं है। पत्रावली का अवलोकन किया गया। इस मामले में अभियुक्त उपस्थित नहीं हो रहा है एवं तामील कुनिन्दा के बयान व मौतबीरान की तस्दीक के अनुसार भी अभियुक्त उसकी सकूनत पर नहीं रह रहा है। इससे न्यायालय संतुष्ट है कि अभियुक्त स्वयं की गिरफ्तारी से बचते हुये फरार हो गया है। अतः अभियुक्त **जितेन्द्र** को मफरूर घोषित किया जाता है। अभियुक्त के विरूद्ध धारा 82-83 द.प्र.सं. की कार्यवाही पृथक से खोली जावे। अभियुक्त का स्थायी गिरफ्तारी वारंट जारी किया जावे। थाने से भगौड़ा रजिस्टर के दर्ज क्रमांक मय दिनांक तलब किये जावे। स्थायी AW ... अभियुक्त के जमानत का अधिकारी होने का नोट लगाया जावे। पत्रावली के मुख्य पृष्ठ पर अभियुक्त के मफरूर होने से पत्रावली का कोई भाग नष्ट नहीं किये जाने का नोट लाल स्याही से मोटे अक्षरों में अंकित किया जावे। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट धरियावद जिला प्रतापगढ़	स्थायी वारंट जारी D 28/11/22